कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मनोज कक्कड़, सी / डी-31, ओल्ड कवी नगर, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक	**06 / 12, 08.02.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मनोज कक्कड़।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मनोज कक्कड़, सी / डी-31, ओल्ड कवी नगर, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें निम्न पर करदेयता पूछी गयी है:-

- AV Bracket (Audio Video Bracket)
- Bracket (Button Control & Bracket Support)
- Power Button
- Holder Rail & FBT
- Knob deco & Knob Power guide
- LED Indicator
- Multi Button
- Sub Power & Support CRT
- Top Cover Pedestal

2. प्रार्थी-श्री मनोज कक्कड़ उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यह पार्ट टी0 वी0 के कैबिनट पर एसेम्बल होते हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-15 पर DATA / Graphic display Tubes; TV parts, Picture tubes and parts thereof. की प्रविष्टि दी गयी है। इस प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री वी0 ट्रेडर्स, 8 सिन्धु नगर, बरेली के धारा-59 के निर्णय दिनांक 29.02.2008 में टी0 वी0 कैबिनेट और टी0 वी0 पिक्चर ट्यूब को ही इस प्रविष्टि के अन्तर्गत माना है। जबकि सर्वश्री जॉबा प्लास्टिक प्रा0 लि0, जी-36 एण्ड-37, सेक्टर-111, नोएडा के धारा-59 के निर्णय दिनांक 15.04.2008 द्वारा टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करदेयता मानी गयी है। जिन वस्तुओं पर करदेयता पूछी जा रही है, इन सारी वस्तुओं का प्रयोग टेलीविजन में एसेम्बल करके किया जाता है। अत: यह वस्तुएं टी0 वी0 पार्ट्स हैं और इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-15 के अनुसार करदेयता होनी चाहिए। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

...2

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम के पत्र संख्या-3300, दिनांक 28.03.2012 से आख्या प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि व्यापारी द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में जिन वस्तुओं पर कर की देयता के सम्बन्ध में कर की दर पूछी गयी है वह सभी वस्तुएं प्लास्टिक सें बनी हुई हैं और उनका प्रयोग टेलीविजन के कैबिनेट में एसेम्बल करके किया जाना है । कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री जॉबा प्लास्टिक प्रा0 लि0, जी-36 एण्ड-37, सेक्टर-111, नोएडा के धारा-59 के निर्णय दिनांक 15.04.2008 में टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स को अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी के अन्तर्गत करदेयता मानते हुए निर्णय किया गया है । अत: इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री जॉबा प्लास्टिक प्रा0 लि0, जी-36 एण्ड-37, सेक्टर-111, नोएडा, प्रार्थना-पत्र संख्या-117 / 08 में धारा-59 के निर्णय दिनांक 15.04.2008 से टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करदेयता मानी गयी है । व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं पर करदेयता पूछी जा रही है, यह समस्त वस्तुएं टेलीविजन के कैबिनेट में एसेम्बल करके प्रयोग की जायेंगी और समस्त वस्तुएं प्लास्टिक पार्ट्स हैं । अत: टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स होने के कारण इन पर कर का दायित्व अवर्गीकृत वस्तु की भॉति होगा ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम की आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । जिन वस्तुओं पर कर का दायित्व पूछा गया है, इन सभी वस्तुओं का उपयोग व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र के अनुसार टेलीविजन के कैबिनेट में एसेम्बल करके किया जाता है और यह वस्तुएं टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स हैं । टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स पर पूर्व में ही, " सर्वश्री जॉबा प्लास्टिक प्रा0 लि0, जी-36 एण्ड-37, सेक्टर-111, नोएडा " के मामले में धारा-59 के निर्णय दिनांक 15.04.2008 से कर की दर स्पष्ट की जा चुकी है, पुन: उक्त टी0 वी0 के प्लास्टिक पार्ट्स पर कर की दर का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

ह0 / 11.12.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।